अज अदालत भु अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

आवेदन संख्या 55/17 (2017/00280)

प्रार्थी :–

1. केशर राम गुर्जर पुत्र श्री श्योदानराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी।

सत्यमेव

Web Copy - Not Official

बनाम

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार, कुचामनसिटी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते नक्शा दुरूस्ती

दिनांक 30/04/2018

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मण्डावरा के पुराना खसरा नं0 134 जिसके नये खसरा नं0 261, 265 रकबा 4.45 है0 है। प्रार्थी की आराजीयत सम्वत 2038 से 2041 की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थी के खेतों की उत्तरी दिशा की सीमा से लगता हुआ एक कदीमी रास्ता था जो नक्शा ट्रेस में भी जगह दर्शाया गया था। सेटलमेंट विभाग द्वारा पुराने बन्दोबस्त, पुराने नक्शा ट्रेस से नया नक्शा ट्रेस बनाते समय प्रार्थी के खेतों की उत्तरी सीमा के बाद जो कदीमी रास्ता था उसको पुराने नक्शा ट्रेस की भांति नहीं दर्शाकर प्रार्थी की अराजीयात में दर्शा दिया गया है जिससे प्रार्थी की अराजीयात मौके पर काफी कम हो गयी है। जिसको पूर्व नक्शा ट्रेस की भांति नये नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन है की प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मुर्तिब नये नक्शा ट्रेस दुरूस्ती कर पुराने नक्शा ट्रेस की भांति नया नक्शा ट्रेस बनाया जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी राजस्थान सरकार तहसीलदार कुचामनसिटी का जबाब पेश किया, शामिल मिसल है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2018 को पेश करने पर तहसीलदार कुचामनसिटी से जांच रिपोर्ट चाही, जांच रिपोर्ट शामिल मिसल है। दिनांक 13.04.2018 को वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर वकील प्रार्थी ने बहस सुनाई बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी को नपाने हेतु दो आरआई एवं दो पटवारी की टीम गठित कर पत्रांक 160 दिनांक 17.04.2018 को आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश की पालना में टीम ने फर्द मौका सीमा ज्ञान पेश की शामिल मिसल है। वकील श्री मो0 हनीफ ने प्रार्थना पत्र पेश की जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने जबाब पेश किया जिसकी नकल वकील श्री मो0 हनीफ

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

को दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने बहस सुनाई बाद बहस प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संलग्न खतौनी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2018, 11.04.2018 व 30.04.2018 एवं वकील मौ0 हनीफ का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2018 एवं तहसीलदार कुचामनसिटी का जबाब दिनांक 06.02.2018, मौका रिपोर्ट पत्रांक 840 दिनांक 11.04.2018 व टीम द्वारा नाप कर सीमा ज्ञान पेश किया दिनांक 24.04.2018 का अवलोकन करने पर दिनांक 16.04.2018 को वकील श्री मो0 हनीफ द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया को खारीज किया जाता है तथा प्रार्थी रेकर्डड खातेदार है तथा अपनी खातेदारी का नाप चौक कराकर सेटलमेंट के द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने का कानूनन हकदार होने से प्रार्थी का प्रार्थान पत्र स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है ।

आदेश

ग्राम मण्डावरा के गत खसरा नं0 134 जिसके नये खसरा नं0 261,265 कुल रकबा 4.45 है0 में खातेदार केशर राम पुत्र श्योदानराम गुर्जर के खसरा नं0 265 रकबा 1.95 है0 का गठित टीम की नाप चौक के अनुसार पुराने नक्शा ट्रेस की भांति नया नक्शा ट्रेस बनाये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को नियमानुसार पालना करने हेतु तहरीर जारी हो। फर्द सीमाज्ञान दिनांक 23.04.2018 निर्णय का भाग रहेगी।

निर्णय आज दिनॉक 30/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)